स्वामित्व योजना के अक्सर उत्पन्न होने वाले प्रश्न

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	स्वामित्व योजना अंतर्गत क्या करना है ?	ग्राम की आबादी भूमि में निवासरत परिवारों के भू-खंडों अधिकार अभिलेख का निर्माण किया जाना है।
2	इस योजना में कौन कौन पात्र हैं ?	दिनांक 25/09/018 के पूर्व से आबादी भूमि में निवासरत एवं इस दिनंक के पश्चात विधिपूर्वक आबादी भूमि में भू-खंड आबंटन प्राप्त किया गया हो।
3	स्वामित्व योजना का कार्य किन किन विभाग के द्वारा किया जाएगा ?	स्वामित्व योजना का कार्य प्रमुख रूप से राजस्व विभाग, सर्वे-ऑफ इंडिया एवं मैप आई-टी से सहयोग से किया जाएगा।
4	स्वामित्व योजना में कार्य किस प्रकार से प्रारंभ किया जाएगा ?	इस योजना में प्रत्येक ग्राम का एक प्रकरण RCMS में मद अ-3 में जिला सर्वेक्षण अधिकारी याने जिला कलेक्टर के न्यायालय से दर्ज किया जाएगा।
5	क्या संपूर्ण कार्यवाही जिला सर्वेक्षण अधिकारी न्यायालय से ही संपन्न की जाएगी ?	नहीं, प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही (जैसे सर्वे कर प्रारूप नक्शा तैयार करने, ग्राउण्ड ट्रुथिंग ROR फीडिंग, दावा, आपत्ति निराकरण) हेतु जिला सर्वेक्षण अधिकारी (कलेक्टर न्यायालय) में दर्ज प्रकरण को क्षेत्र के संबंधित सहायक सर्वेक्षण अधिकारी याने तहसीलदार/नायब तहसीलदार के न्यायालय में RCMS से ही ऑनलाईन भेजना(स्थानांतरित) होगा।
6	आबादी भूमि का प्रारूप नक्शा कैसे तैयार किया जाएगा ?	संबंधित हल्का पटवारी एवं सर्वे ऑफ इंडिया की ड्रोन फ्लॉय टीम के संयुक्त प्रयास से आबादी भूमि का नक्शा तैयार किया जाएगा।
7	आबादी भूमि का प्रारूप नक्शा तैयार करने की प्रकिया क्या होगी ?	इसके लिए सबसे पहले पटवारी को ग्राम की आबादी भूमि की बाहरी सीमा एवं उसके अंदर की समस्त प्रकार की संरचनाओं को दर्शाने के लिए चूना लाईन (लगभग 4-5 इंच चौडी) ड्रोन फ्लॉय होने के एक दिन पूर्व डालना होगी।
8	ड्रोन फ्लॉय किसके द्वारा और कब किया जाएगा ?	सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के द्वारा ग्राम में चूना मार्किंग के अगले दिन किया जाएगा।
9	ड्रोन फ्लॉय के पश्चात आबादी भूमि का प्रारूप नक्शा कहॉ से प्राप्त होगा ?	सर्वे ऑफ इंडिया के जबलपुर स्थिति कार्यालय के द्वारा ड्रोन फ्लॉय के पश्चात आबादी भूमि के नक्शा की हार्ड-कॉपी और सॉफ्ट-कॉपी तैयार की जाएगी। जिसे संबंधित तहसीलदार के द्वारा अधिकृत कर्मचारी के माध्यम से सर्वे ऑफ इंडिया जबलपुर कार्यालय से प्राप्त की जाएगी।
10	प्रारूप नक्शा की सॉफ्ट-कॉपी कहॉ पर उपलब्ध होगी ?	संबंधित पटवारी को उसके सारा एप लॉगिन पर प्रारूप नक्शा की सॉफ्ट-कॉपी उपलब्ध होगी।
11	प्रारूप नक्शा प्राप्त करने के बाद क्या क्या कार्य किया जाएगा ?	ड्रोन फ्लॉय के पश्चात सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार आबादी भूमि के प्रारूप नक्शा का सत्यापन याने मिलान राजस्व अभिलेख (नक्शा की बाह्य सीमा) से करना होगा। साथ ही साथ आंतरिक संरचनाओं याने भू-खंडों की सीमाओं का मिलान भी किया जाएगा। याने मौका सत्यापन किया जाएगा।
12	प्रारूप नक्शा और मौका मिलान में पाई गई विसंगति के लिए क्या करना होगा ?	मिलान में पाई जाने वाली विसंगतियों को प्रारूप नक्शा की हार्ड-कॉपी में पेंसिल/पेन से स्पष्टरूप से दर्शाया जाकर सुधार हेतु सर्वे ऑफ इंडिया जबलपुर के कार्यालय में भेजा जाएगा।

13	संशोधित या सही प्रारूप नक्शा प्राप्त होने के बाद क्या करना होगा ?	संशोधित या सही नक्शा पाये जाने के बाद संबंधित हल्का पटवारी को सारा एप पर ग्राउण्ड ट्रूथिंग, विलय/विभाजन (यदि आवश्यक हो तो) एवं ROR की फीडिंग करना होगी।
14	ग्राउण्ड ट्रूथिंग और ROR क्या है ?	मौका सत्यापन और रिकॉर्ड ऑफ राईट्स (अधिकार अभिलेख)
15	हितग्राहियों से कौन कौन सी जानकारी लेना अनिवार्य है ?	भू-खंड के मुखिया और उसकी पत्नि/पति का समग्र आईडी, आधार नंबर की जानकारी अनिवार्य है।
16	क्या स्वामित्व योजना में कार्यवाही ऑनलाईन या ऑफलाईन या दोनों प्रकार से की जा सकती है ?	स्वामित्व योजना का संपूर्ण कार्य पटवारी स्तर से सारा एप और सारा पोर्टल की सहायता से एवं न्यायालय स्तर से RCMS में ऑनलाईन ही संपन्न किया जाएगा।
17	सारा एप से डाटा फीडिंग की कार्यवाही करने के बाद क्या करना होगा ?	सारा पोर्टल पर स्वामित्व ऑप्शन के जाकर ग्राम का डाटा RCMS में पुश करना होगा।
18	पटवारी द्वारा ग्राम का ROR पूर्ण RMCS हेतु डाटा पुश करने के बाद क्या कार्यवाही शेष रहेगी ?	RCMS में संबंधित द्वारा इस ROR के संबंध में इश्तहार जारी किया जाएगा, दावा/अपत्ति प्राप्त होने पर निराकरण किया जाएगा। प्रकरण में अंतिम निराकरण होने के पश्चात प्रकरण RMCS से ही जिला सर्वेक्षण अधिकारी याने जिला कलेक्टर की आईडी पर भेज दिया जाएगा।
19	क्या आबादी भूमि में बिना चूना लाईन डाले ड्रोन फ्लॉय किया जा सकता है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?	नहीं, आबादी भूमि की बाह्य सीमा और उसके अंदर बने मकान, भवन रिक्त भू-खंण्ड आदि को चिहिन्त करने के लिए मौका पर चूना लाईन डालना अत्यावश्यक है। तभी ड्रोन फ्लॉय से प्रारूप नक्शा तैयार किया जा सकेगा।
20	स्वामित्व योजना पर कार्य करने के लिए प्रमुख रूप से कौन कौन सी सावधानियॉ रखना चाहिए ?	1. ग्राम की आबादी भूमि का मौका एवं अभिलेखों के अनुसार मिलान एवं सत्यापन कर लेना चाहिए। 2. ग्राम की आबादी भूमि की बाह्य सीमा में चूना लाईन तथा आबादी भू-खण्ड के अंदर निर्मित समस्त मकान भवन, सडक, गली को पृथक-पृथक दर्शाने के लिए चूना लाईन सावधानी से और सटीकता से डालना चाहिए। 3. प्रारूप नक्शा की ग्राउण्ड ट्रूथिंग में सावधानी से करना चाहिए। 4. भू-खंड विलय/विभाजन मौका की स्थिति के अनुसार सही सही करना चाहिए। 5. ROR फीडिंग में सही समग्र आईडी व आधार नंबर के साथ साथ सही सही हिस्सा भी दर्ज करना चाहिए। 6. यदि समग्र आईडी या आधार नंबर में कोई त्रुटि हो तो उसे फीडिंग के पहले सुधरवा लेना चाहिए।
21	ग्राम की आबादी भूमि पर यदि बसाहट नहीं है तो क्या उसका सर्वे भी करना ?	नहीं, ऐसी आबादी भूमि जिस पर बसाहट नहीं है उसका सर्वे नहीं करना होगा।
22	चूना एवं अन्य स्टेशनरी व्यव के लिए क्या प्रावधान है ?	ग्राम-पंचायत को चूना, मजदूरी आदि के लिए 5000 एवं स्टेशनरी आदि के 7500 हजार तक की राशि व्यव करने का प्रावधान है। जिसे 14वें, 15वें व राज्य वित्त से व्यय करना है।